

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-12/2025

प्रेषक,

7955

/पटना, दिनांक-

22-7-25

आदित्य प्रकाश

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

विषय : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरौव / जयनगर/ सिकहरना, ढाका/ फुलपरास/ उदाकिशनगंज/ बांका-2 एवं गया।
मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष- 001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के संविदा सेवायें इकाई मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹ 19.19006 (उन्नीस लाख उन्नीस हजार छः) लाख रू० मात्र की राशि सारणी-1 के अनुसार कार्यालयों के नाम के सामने अंकित राशि के अनुरूप आवंटन प्रदान किया जाता है।

सारणी-1

(सभी राशि लाख रू० में)

क्र०सं०	ग्रा० का० वि० के कार्यालय का नाम	अधियाधित राशि	आवंटित राशि	पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5
1	कार्य प्रमंडल, डुमरौव	1.20000	1.20000	907/12.07.2025
2	कार्य प्रमंडल, जयनगर	2.28000	2.28000	437/29.04.2025
3	कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका	5.69488	5.69488	1186/28.06.2025
4	कार्य प्रमंडल, फुलपरास	6.26808	6.26808	1143/04.07.2025
5	कार्य प्रमंडल, उदाकिशनगंज	2.78710	2.78710	1287/03.07.2025
6	कार्य प्रमंडल, बांका-2	0.48000	0.48000	1699/24.06.2025
7	कार्य प्रमंडल, गया	0.48000	0.48000	1101/16.05.2025
	कुल	19.19006	19.19006	

2. यह राशि मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के अन्तर्गत 28 02 संविदा सेवायें ईकाई में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगी। जिसका विपत्र कोड सं०- 37-2515000010009 है।

3. उक्त आवंटन से संविदा कर्मियों का वेतन का भुगतान, न्यायालय से अच्युतित मामले एवं बकाया का भुगतान नियमानुसार ही किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाया आदि का भुगतान पूर्व में न की गयी हो।

4. सारणी में अंकित राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम से किया गया है।
5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक-277/वि० दिनांक 28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-4010 दिनांक-08.04.2025 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया गया है।
6. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों/नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
7. आवंटन प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का संचिका सं०-13/अ०प्र०-01-12/2025 के पृ०- 20/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

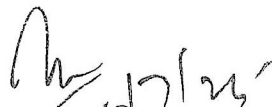
विश्वासभाजन


सरकार के अवर सचिव

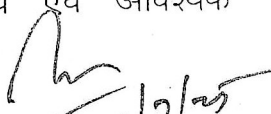
ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 7955 /पटना, दिनांक- 22-7-25
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव

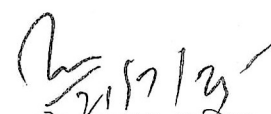
ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 7955 /पटना, दिनांक- 22-7-25
प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 7955 /पटना, दिनांक- 22-7-25
प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/संयुक्त सचिव, के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 7955 /पटना, दिनांक- 22-7-25
प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, ग्रा०का०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।


सरकार के अवर सचिव